2023/45

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

गोरधनराम बनाम श्योपतराम (फौत) जरिये चावली व अन्य

अपील अंतर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्या 45 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.08.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भूअ) राजस्व सूरतगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04112022 में अंकित रकबा में से जैर अपील रकबा यथा चक 4 बीजेडब्ल्यू के पत्थर न 52/30 का मुरब्बा न 19 का किला न 17, 22 व 24 में 3 बीघा भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त है जिसको स्माल पेच में आवंटन करवाने की पत्रावली सक्षम न्यायालय में पेश की हुई है। उक्त पत्रावली में भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी पूर्णतया साबित होता है कि जैर प्रकरण रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। प्रकरण में अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार की जाकर अपील अनुमति प्रदान की जावे तथा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/2 ने दौराने बहस अपीलांट के तथ्यों का खण्ड़न करते हुए एवं अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त रकबा मुझ अप्रार्थी संख्या 1/2 के पिता श्योपतराम पुत्र चन्दूराम के नाम से टीसी आवंटित रकबा था जिस पर जीवनपर्यन्त आवंटी का एवं मृत्यु उपरांत वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मुझ अप्रार्थी के पिता को चक 4 बीजेडब्लयू द्वितीय के प0न0 52/30 मु0न0 19 के किला न 19-24/2 एवं प0न0 52/31 मु0न0 42 के किला न 4-7 टीसी आवंटन रकबा है। अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त रकबा स्मालपेच में आवंटन करवाना चाहता है, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत एक रकबा का डबल आवंटन नहीं हो सकता। अपीलांट के पास किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा ना ही अपीलांट रकबा में हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का करने से पाया कि अपीलांट का चक 4 बीजेडब्ल्यू-द्वितीय का प0न0 52/30 मुरब्बा न. 19 पत्थर न. का किला न. 17 में 0.253 है0 किला न. 22/3 में 0.209, 24/2 में 0.228 कुल 0.690 है0 आ0क0 भूमि स्मालपेच आवंटन प्रार्थना पत्र न्यायालय आवंटन अधिकारी सूरतगढ में विचाराधीन है जिस पर पटवारी हल्का भोजेवाला की रिपोर्ट दिनांक 01.03.2023 अनुसार किला न. 17 व 24/2 रेस्पोडेंटगण के नाम टीसी दर्ज है परन्तु कब्जा अपीलांट का बताया है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट का कब्जा काश्त साबित है तथा उक्त रकबा का स्मालपेच आवंटन प्रार्थना पत्र भी जैरकार है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट हितबद्व पक्षकार साबित है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। प्रार्थना पत्र के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होते है। इसलिए हम प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना करते हुए गुणावगुण पर करना हम उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3 व 2 की तलवी नहीं हुई है। अतः उक्त रेस्पोडेंटगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड ऐडी सम्मन पेश करने हेतु अधिवक्ता अपीलांट को न्याय हित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। अधिवक्ता अपीलांट आज ही उक्तानुसार रजिस्टर्ड ऐडी सम्मन पेश करे। पत्रावली रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3 व 2 की रजि.तलवी हेतु आईन्दा दिनांक 02.09.2024 को पेश हो। (कन्हैयालाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (जिला श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:13:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

2-9-24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट ने रेस्पोडेंट लैयला 1/1, 1/3 व 2 की तलबी (रिफा.) करवाने हेतु न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25-9-2024 को पेश हो। ✓

4-9-24 पत्रावली अपीलांट द्वारा विड्रा प्रा.पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। मुताबिक प्रा. पत्र अपीलांट व रेस्पो. के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः अपील को इसी स्तर पर विड्रा करवाना चाहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विड्रा प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज (विड्रा) किया जाता है। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। ✓

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:13:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner